राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

Raja Mansingh Tomar
Music and Arts University
Gwalior, Madhya Pradesh

क्र. 1458 /प्रशा./रा.मा.तो.वि.वि./2015 ग्वालियर, दिनांक 7/11/15

प्रति,

प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संगीत एवं
कला महाविद्यालय, ग्वालियर

विषयः—निःशक्त छात्र—छात्राओं हेतु प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन ऑनलाइन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के संलग्न पत्र का आवलोकन करें। तथा उक्त आदेश के कम में आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

07.11.15
कुलसचिव

क्र. 1459 /प्रशा./रा.मा.तो.वि.वि./2015 ग्वालियर, दिनांक 7/11/15

प्रतिलिपिः—

1. मा. कुलपति जी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. प्रभारी विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की ओर इस आशय के साथ कृपया छात्र—छात्राओं को इससे अवगत कराने का कष्ट करें।
3. श्री नितिन शर्मा की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित नस्ती हेतु।
5. गार्ड फाईल।

07.11.15
कुलसचिव

स्वरांग परिसर', नीडम रोड़, नाका चंद्रबदनी चौराहा, ग्वालियर (म0प्र0) पिन—474002
कार्यालय—0751—2452650, फैक्स नं0 0751—2450241
E-mail registrar.music2008@gmail.com

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कलयाण संचालनालय,मध्यप्रदेश
1250, तुलसी नगर, भोपाल–462003
{ Telephone- 0755-2556916, FAX- 0755-2552665 }
{ E-mail address: dpswbpl@nic.in }

क्रमांक / नि.क. / 09 / 2015 / 1703 भोपाल दिनांक 06-11-2015

प्रति,

कुल सचिव,

1– राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एण्ड आर्टस विश्वविद्यालय
माधवजी चौक अचलेश्वर मार्ग
जिला ग्वालियर

2– अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
एच.ओ. वीलिज करोंदिया पोस्ट उमरियापान
जिला रीवा

3– महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
जिला कटनी

4– प्यूपिल्स विश्वविद्यालय,
भानपुर
भोपाल

5– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
एयरपोर्ट बायपास गांधी नगर,
भोपाल

6– बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल

7– माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
नेशनल यूनिवर्सिटी आफ जर्नलिज्म
जर्नलिज्म ई–8 त्रिलोचन नगर, भोपाल।

8– मौलाना आजाद नेशनल इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालॉजी
भोपाल।

9– महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
जिला जबलपुर।

10– ओरियण्टल यूनिवर्सिटी,
रेवाती गेट नम्बर–1 पोस्ट अरविन्दो जाख्या
सनावद रोड़
इन्दौर।

11– विक्रम यूनिवर्सिटी,
जिला उज्जैन।

12– इण्डियन यूनिवर्सिटी आफ इनफोरमेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,
एनएच 92 मुरैना लिंक रोड़
ग्वालियर।

05/11/2015

13— आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय,
बायपास रोड आर.पी.जी.वी. केम्पस,
भोपाल।

14— ए.के.एस. यूनिवर्सिटी
जिला सतना।

15— आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी,
सिठौली रिलाय स्टेशन एनएच 75 झांसी रोड़
ग्वालियर।

16— आईसेक्ट विश्वविद्यालय,
चिकलोद रोड़ बंगरसिया चौराहा के पास,
भोपाल।

17— जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय,
कृषि नगर,
जबलपुर।

18— राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
मेला ग्राउण्ड के सामने रेसकोर्स रोड़
जिला ग्वालियर।

19— मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
सिविल लाइन जबलपुर।

20— टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय,
लटेरी रोड़ सिरोज (गोशाला के पास)
जिला विदिशा।

विषयः— निःशक्त छात्र—छात्राओं हेतु प्रीमैट्रिक स्कालरशिप एवं पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के आवेदन आनलाइन प्रेषित करने के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक / 10/1/2014/sch दिनांक 23—09—2015 की छाया प्रति संलग्न है।

2— भारत सरकार द्वारा निःशक्त विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 वीं से 10 वीं के लिए प्रीमैट्रिक स्कालरशिप एवं 11 वीं से ऊपर पोस्ट मैट्रिक शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों हेतु दिनांक 01—04—2015 से पूरे भारत वर्ष में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत 46000 प्रीमैट्रिक स्कालरशिप एवं 16,650 पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप निःशक्तजनों के लिए उपलब्ध है, जिसमें से

05/11/2015

मध्यप्रदेश हेतु 2663 प्रीमैट्रिक स्कालरशिप एवं 964 पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप एवं टॉप क्लास हेतु 08 छात्रवृत्ति का लक्ष्य रखा गया है।

3— भारत सरकार द्वारा निःशक्त बच्चों के लिए निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां वर्ष 2015—16 के शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ की गई है:—

- प्री मैट्रिक स्कालरशिप (कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं)
- पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप (कक्षा 11 वीं एवं ऊपर)
- टाप क्लास छात्रवृत्ति

पात्रता :—

- 40 प्रतिशत एवं अधिक निःशक्त हो
- स्कूल/कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत हो
- छात्रवृत्ति हेतु भारतीय नागरिक हो
- एक ही परिवार के दो निःशक्त पुत्र/पुत्रियों को पात्रता होगी
- हितग्राही के अध्ययरन रहने के दौरान एक शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण न होने की दशा में पुनः उसी कक्षा में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- निःशक्त विद्यार्थी भारत सरकार की किसी भी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो

निःशक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.	योजना	माता—पिता की वार्षिक आय	मद	डे—स्कालर	छात्रावास	अन्य भत्ते
1.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	₹ 2.50 लाख	समूह—एक मेडिकल, इंजीनियरिंग,	550	1200	-

05/11/2015

			तकनीकी, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइन, कृषि, वेटनरी आदि			
			समूह–2 व्यावसायिक कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा, पी. जी.सर्टिफिकेट कोर्स	530	820	-
			समूह–3 बी.ए., बी.एस.सी. बी. काम. आदि ग्रुप एक एवं 2 में शामिल नहीं है।	300	570	-
			समूह–4 पोस्ट मैट्रिकुलेशन, नॉन डिग्री कोर्स	230	380	-
			रीडर एलाउन्स, (दृष्टिबाधित हेतु)	-	-	240
			परिवहन भत्ता	-	-	160
			हेल्पर भत्ता	-	-	160
			विशेष भत्ता (अस्थिबाधित हेतु)	-	-	160
			कोचिंग भत्ता (मानसिक मंदता एवं मंदबुद्धि हेतु)	-	-	240

4– निःशक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को समस्त कार्यवाही आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। निःशक्त हितग्राहियों से आवेदन कर पत्र प्राप्त करने हेतु योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाना होगा। इस हेतु भारत सरकार की मार्गदर्शिका विभाग की वेबसाइट (http://socialjustice.mp. gov.in) पर भी उपलब्ध है।

5– कृपया निःशक्त हितग्राहियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आनलाइन करते समय मार्गदर्शिका की कंडिका 9 का विशेष रूप से अध्ययन कर लें, ताकि भविष्य में कुलसचिव एवं निःशक्त विद्यार्थियों को असुविधा न हो।

05/11/2015

6— निःशक्त विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आनलाइन प्रक्रिया का पालन करने हेतु गाइडलाइन की प्रति संलग्न है।

7— सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत निःशक्तजनों हेतु स्कालरशिप प्राप्त करने के संबंध में सामान्य शर्तें कंडिका 5.1 एवं 5.3 में पूर्ण रूप से उल्लेखित है। इस हेतु आवेदनकर्ता को भारत सरकार की वेबसाइट www. scholarships.gov.in पर क्लिक करना होगा। भारत सरकार को पात्रताधारी निःशक्तजनों के प्रीमैट्रिक स्कालरशिप एवं पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के प्रस्ताव आनलाइन प्राप्त होने पर राष्ट्रीयकृत केनरा बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खाते में स्कालरशिप की राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

जिला स्तर पर इस कार्य हेतु संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को **नोडल अधिकारी नियुक्त** किया गया है।

अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ऐसे निःशक्त छात्र—छात्राएं जो पोस्ट मैट्रिक एवं टाप क्लास की कक्षाओं में अध्ययनरत है, के **आवेदन दिनांक 15 नवम्बर 2015 तक अनिवार्यतः आनलाइन प्रेषित किये जाने के लिए आपके स्तर से संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित करने का कष्ट करें।**

संलग्नः— उपर्युक्तानुसार

05/11/2015

(डॉ. मनोहर अगनानी)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/नि.क./09/2015/1704 भोपाल दिनांक 06-11-2015

प्रतिलिपिः—

श्री मुकेश जैन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5 वां तल, पर्यावरण भवन, सी. जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड़ नई दिल्ली की ओर ज्ञापन क्रमांक/10/1/2014/sch दिनांक 21—05—2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।

05/11/2015

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश